<u>**2012 का विधेयक सं.37**</u>

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 30 अप्रेल, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 11 का संशोधन.- महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.13) की धारा 11 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बासठ वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा 11 की उप-धारा (2) में कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 में कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उपर्युक्त अधिनियमों के साथ समानता रखने के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर में कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 30 अप्रेल, 2012 को महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 30 अप्रेल, 2012 को प्रकाशित हुआ।

पूर्वोक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा सभी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 70 वर्ष करने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) में इस आशय का संशोधन प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तरण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003
(2003 का अधिनियम सं.13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) **XX XX XX XX**

(2) कुलपति की पदावधि ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) से (8) **XX XX XX XX**

(Authorised English Translation)

Bill No. 37 of 2012

THE MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th April, 2012.

2. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 13 of 2003.- In sub-section (2) of section 11 of the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003 (Act No. 13 of 2003), for the existing expression "sixty-two years", the expression "seventy years" shall be substituted.

3. Repeal and savings.- (1) The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 2 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In sub-section (2) of section 11 of the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003, the age of retirement of Vice-Chancellor is 62 years. In the Acts of the Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer Act, 1987 and Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987, the retirement age of Vice-Chancellor is 65 years. To keep parity with the above said Acts, it had been decided to increase the retirement age of the Vice-Chancellor in the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner from 62 to 65 years.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 2 of 2012), on 30th April, 2012, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 30th April, 2012.

After the promulgation of the aforesaid Ordinance, it has been decided by the State Government to increase the retirement age of the Vice-Chancellors in all State funded Universities to 70 years. Accordingly an amendment to this effect is proposed in sub-section (2) of section 11 of the Act.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with the above modification.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER ACT, 2003
(Act No. 13 of 2003)

XX XX XX XX XX XX

11. Vice-Chancellor.- (1) xx xx xx

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) to (8) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

2012 का विधेयक सं.37

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्‌यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

महाराजा गंगा सिंह विश्विवद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,
विशेषाधिकारी।

(डॉ, दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 37 of 2012

THE MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)